संख्या———— /XXIV(6)/2017-03(10)/2016

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

शिक्षा (उच्च शिक्षा) अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः– राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति/मानक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–391/XXIV(N)-(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित नीति/मानक में प्रथम चरण के मानकों के प्रस्तर–2 एवं प्रस्तर–7(IX) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

(1) प्रस्तर–2 में पूर्व निर्धारित मानकों के साथ निम्न मानक का समावेश प्रस्तर–2(4) के रूप में किया जाता हैः–

"प्रस्तावक संस्था देश के किसी राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित सोसाइटी पंजीकरण/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिये तथा प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के समय सम्बन्धित अधिनियम की प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न कर उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण न्याय विभाग से कराया जायेगा एवं न्याय विभाग की सहमति के बाद ही उक्त प्रस्ताव को ग्राह्य किया जायेगा।"

(2) प्रस्तर–7(IX) को संशोधित कर निम्नवत् मानक प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

"प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतो का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम रू0 20 करोड़ (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रू0 2.00 करोड़) तथा ऐसे संस्थान, जो दस वर्ष पूर्व से संचालित हो एवं सीधे द्वितीय चरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो, के लिए रूपये 10 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।" **अथवा** "प्रस्तावक संस्थाओं के वार्षिक कारोबार (Turnover) न्यूनतम रू0 20.00 करोड़ (मैदानी क्षेत्र हेतु) या रू0 02.00 करोड़ (पवर्तीय क्षेत्र हेतु) या रू0 10.00 करोड़ (ऐसे संस्थान जो 10 वर्ष पूर्व से संचालित हो) होना आवश्यक होगा।"

2– उक्त शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायें तथा शासनादेश की शेष शर्तें/मानक एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगें।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्याः– 15 (1)/XXIV(6)/2017-03(10)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
9. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जी0एम0वी0एन0 कार्यालय, राजपुर रोड़, देहरादून को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव